

Kindly
update on website
Santosh
16/1/15

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

S.No-12

No: 99/RS(G)/779/5

New Delhi, dated: 16-1-2015

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS

Subject: Operation of quantity Option Clause in Board's tenders.

- Ref:**
1. Railway Board Office Order No. 1 of 2015 dated 1.1.2015
 2. Railway Board Office Order No. 03 of 2015 dated 2.1.2015
 3. Railway Board circular No.99/RS(G)/779/5 dated 12.3.2010
 4. Railway Board circular No. 99/RS(G)/779/5 dated 20.5.2010
 5. Railway Board circular No. 99/RS(G)/779/5 dated 9.1.2015

There are tender cases currently referred by Field Units to Board wherein the value of tender based on tendered quantity is less than Rs 500 crores, but with 30% option clause it is more than Rs. 500 crores. Hence from the point of view of consistency, such cases too are to be dealt in Board at the level of Additional Member for acceptance in line with Board's instruction of O.O.No. 3 of 2015 and policy circular dated 9.1.2015.

Since field units GMs have been given full power, for operation of option 30% clause, the case can be handled at the level of GM if required later.

This is issued with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director, Rly. Stores(G)
Railway Board

No: 99/RS(G)/779/5

New Delhi, dated: 16-1-2015

Copy to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.
2. PCEs, All Indian Railways & Production Units.
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways.

ACM

for Financial Commissioner/Railway

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors—
 - a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 - e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 - f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata

4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No: 99/RS(G)/779/5
Copy to :

New Delhi, dated: 16-1-2015

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

No: 99/RS(G)/779/5

New Delhi, dated: 16-1-2015

Copy to:-

- (i) Sr. PPSs / PPS / PS to CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, Secy., DG (RHS), DG (RPF)
- (ii) All AMs and Advisors of Railway Board.
- (iii) All Executive Directors of Railway Board.
- (iv) All Directors of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte. &
All Branches of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/779/5

नई दिल्ली, दिनांक 6.01.2015

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा(निर्माण), कोर
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली,
आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली

विषय:- बोर्ड के निविदाओं में मात्रा विकल्प खण्ड का संचालन।

- संदर्भ:** 1. रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.01.2015 का 2015 का कार्यालय आदेश सं. 1.
2. रेलवे बोर्ड का दिनांक 2.1.15 का 2015 का कार्यालय आदेश सं. 03.
3. रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.3.2010 का परिपत्र सं. 99/आरएस(जी)/779/5.
4. रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.5.2010 का परिपत्र सं. 99/आरएस(जी)/779/5.
5. रेलवे बोर्ड का दिनांक 9.1.2015 का परिपत्र सं. 99/आरएस(जी)/779/5.

फील्ड इकाइयों द्वारा बोर्ड को वर्तमान में भेजे गए ऐसे निविदा मामले हैं जिनमें निविदा दी गई मात्रा पर आधारित निविदा मूल्य 500 करोड़ रुपए से कम है, परन्तु 30% विकल्प खण्ड के साथ यह 500 करोड़ रुपए से अधिक है। अतः, अनुरूपता की दृष्टि से बोर्ड के 2015 के कार्यालय आदेश सं. 3 के अनुदेश और दिनांक 9.1.2015 के नीति परिपत्र के अनुसार स्वीकार करने के लिए इस प्रकार के मामलों को भी अपर सदस्य स्तर पर बोर्ड में डील करना होता है।

चूँकि विकल्प 30% खण्ड के संचालन के लिए फील्ड इकाइयों के महाप्रबंधकों को पूर्ण अधिकार दिए गए हैं, अतः, बाद में यदि अपेक्षित हो तो इस मामले को महाप्रबंधक स्तर पर निपटाया जा सकता है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/779/5

नई दिल्ली, दिनांक 6.01.2015

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 99/आरएस(जी)/779/5

नई दिल्ली, दिनांक 16.01.2015

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला।

2. निदेशक:-

- क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिन्दराबाद।
 - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
 - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
 - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।
 - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
 - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।
3. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
 4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
 5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
 6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर।

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/779/5

नई दिल्ली, दिनांक 16.01.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248, एवं एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ़ोआ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन।

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड